

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 18 /अपील/ 18

समीम खां पिता अजीज खां जाति मुसलमान नि0 झिकडिया तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

(रेस्प0)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा मिसल न0 352/17 निर्णय दिनांक 09.10.17

उपस्थित:- श्री कालूसिंह सिसोदिया अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 07.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 09.10.2017 जो मिसल न0 352/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम झिकडिया की आराजी खसरा न0 192 की 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमी मानकर 6173/-रु. जुर्माना से दण्डित करते हुए 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने ग्राम झिकडिया की उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है, हल्का पटवारी के गलत बयान व रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को दोष सिद्ध किया है जो विधि सिद्धान्त के अनुसार निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने जुर्माना जमा करवा दिया है व आराजी पर से कब्जा भी हटा लिया गया है व भविष्य में भी उक्त आराजी पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं करेगा। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेडेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने पर ही सजायाब किया जाना तो साबित है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टी पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व रसीद से होती है। ऐसी दशा में अपीलान्ट कुछ राहत पाने का पात्र है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दो माह की अवधि में 20000/- रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़